रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 452]	नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 13, 2012/भाद्र 22, 1934
No. 452]	NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 13, 2012/BHADRA 22, 1934

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 सितम्बर, 2012

सा.का.नि. 683(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा तारीख 17.9. 1987 को भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह "क" नियम, 1987 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् -

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह "क" नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक की संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "बोर्ड" से केन्द्रीय उत्पाद और सीमाशुल्क बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है ;

(ग) "नियंत्रण प्राधिकारी" से भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग अभिप्रेत है ;

(घ) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट सेवा की किसी श्रेणी में प्रोन्नतियों और पुष्टियों पर विचार करने के लिए गठित कोई समिति अभिप्रेत है और ऐसी समिति की संरचना अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट रूप में होगी ;

(ङ) "परीक्षा" से सम्मिलित प्रतियोगिता परीक्षा अभिप्रेत है जिसमें सेवा में भर्ती के लिए संचालित प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा या ऐसी अन्य सेवा या सेवाएं हैं जो आयोग द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(च) "श्रेणी" से अनुसूची 1 के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट सेवा की श्रेणी अभिप्रेत है ;

(छ) "पद" से नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट कोई पद चाहे स्थायी हो या अस्थायी अभिप्रेत है ;

(ज) "नियमित सेवा" से किसी श्रेणी के संबंध में उस श्रेणी में दीर्घ अवधि नियुक्ति के लिए विहित प्रक्रिया के अनुसार उस श्रेणी में चयन के पश्चात् की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और इनके अंतर्गत कोई ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं जो,-

(i) सेवा के आरंभिक गठन पर इन नियुक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए गणना में ली गई हों ;

(ii) जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में पद धारण किया होता किन्तु छुट्टी पर होने के कारण या अन्यथा ऐसा पद धारण करने के लिए उपलब्ध न होने के कारण धारण नहीं किया है ;

(झ) "अनुसूची" से इन नियमों की अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ञ) "सेवा" से भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह 'क' अभिप्रेत है ;

3. सेवा का गठन - (1) नियम 5 के अधीन सेवा में नियुक्त व्यक्तियों से मिलकर भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह 'क' नामक एक सेवा का गठन किया जाएगा ।

(2) सेवा में सम्मिलित सभी पदों का वर्गीकरण समूह 'क' पद के रूप में किया जाएगा ।

(3) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को सेवा का गठन उन अधिकारियों से होगा जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट पहले ही भारतीय सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क सेवा समूह 'क' में विभिन्न श्रेणियों में नियमित आधार पर नियुक्त किए जा चुके हैं ।

(4) उपनियम (3) में निर्दिष्ट अधिकारियों की इन नियमों के लागू होने से पूर्व की गई नियमित सतत सेवा की संबंधित तत्स्थानी श्रेणियों में गणना ज्येष्ठता, पुष्टि, प्रोन्नति, अकृत्यकारी उन्नयन और पेंशन के प्रयोजनों के लिए की जाएगी ।

4. श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और उसका पुनर्विलोकन - (1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में प्राधिकृत स्थायी संख्या, उससे उपाबद्ध प्रत्येक श्रेणी में पदों की संख्या और वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वे होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट हैं ।

(2) इन नियमों के लागू होने की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों को प्राधिकृत स्थायी संख्या वे होगी जो कार्यभार में परिवर्तन के अधीन रहते हुए समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाए ।

5. सेवा में नियुक्ति - (1) सेवा के आरंभिक गठन के पश्चात् किसी भी श्रेणी में रिक्तियों पर भर्ती इसमें उपबंधित रीति में की जाएगी ।

(2) श्रेणी VI (कनिष्ठ समयमान) अर्थात् सहायक सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की पचास प्रतिशत रिक्तियां अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट रीति में आयोग द्वारा संचालित परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा भरी जाएंगी ।

(3) श्रेणी VI (कनिष्ठ समयमान) अर्थात् सहायक सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की पचास प्रतिशत रिक्तियां केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और स्वापक औषधि विभाग में समूह 'ख' श्रेणियों के निम्नलिखित अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी जिन्होंने नियमित सेवा के दो वर्ष पूरे कर लिए हैं, अर्थात् :-

(क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक और स्वापक औषधि विभाग में जिला अफीम अधिकारी या आसूचना अधिकारी या अधीक्षक (कार्यकारी) ;

(ख) सीमाशुल्क विभाग में सीमाशुल्क अधीक्षक (निवारक) ; और

(ग) सीमाशुल्क विभाग में सीमाशुल्क अंकक ।

टिप्पण.- उपनियम (3) के पैरा (क) में वर्णित अधिकारियों की श्रेणियों में से समूह 'ख' से समूह 'क' में प्रोन्नति करने के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षकों और स्वापक औषधि विभाग के जिला अफीम अधिकारियों या आसूचना अधिकारियों या अधीक्षक (कार्यकारी) के उनके संबंधित प्रवर्ग या पद पर अधिकारियों द्वारा विहित अर्हता सेवा पूरी करने की तारीख को निर्दिष्ट करते हुए एक सम्मिलित पात्रता सूची तैयार की जाएगी ।

(4) प्रोन्नति द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों को उपनियम (3) में वर्णित अधिकारियों के 3 समूह 'ख' प्रवर्गों में से प्रत्येक 16 रिक्तियों के समूह के लिए क्रमशः 13: 2: 1 के अनुपात में भरा जाएगा । 16 रिक्तियों में से पहली 13 रिक्तियों को उपनियम (3) के पैरा (क) में निर्दिष्ट अधिकारियों में से भरा जाएगा, 14वीं और 15वीं रिक्ति को उक्त उपनियम के पैरा (ख) में निर्दिष्ट अधिकारियों में से भरा जाएगा और 16वीं रिक्ति को पूर्वोक्त उपनियम के पैरा (ग) में निर्दिष्ट अधिकारियों में से भरा जाएगा ।

(5) सेवा की श्रेणी 5 (ज्येष्ठ समयमान) अर्थात् सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क उपायुक्त की नियुक्तियां अनुसूची 3 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हक सेवा के साथ अगली निम्न श्रेणी में अधिकारियों में से प्रोन्नति द्वारा भरी जाएंगी ।

(6) सिवाय कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों की प्रोन्नति (अकृत्यकारी चयन श्रेणी) अनुसूची 4 के अनुसार गठित विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर चयन द्वारा की जाएगी । कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी के अधिकारियों की प्रोन्नति (अकृत्यकारी चयन श्रेणी) अचयन द्वारा की जाएगी ।

6. परिवीक्षा और पुष्टि - (1) कनिष्ठमान में सेवा में सेवा में नियुक्ति पर प्रत्येक अधिकारी चाहे प्रत्यक्ष भर्ती या प्रोन्नति द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रहेगा :

परंतु यह कि नियंत्रण अधिकारी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि का विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि किसी अधिकारी को उसकी परिवीक्षा की अवधि के प्रस्तावित विस्तार की अवधि के तीन मास के अवसान से पूर्व सुने जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के पूरा होने पर यदि स्थायी नियुक्ति के लिए विचार किया जाता है तो अधिकारियों अधिकारियों को उनके पदों पर नियमित आधार पर रखे रहने दिया जाएगा और उनकी पुष्टि की जाएगी ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा या उसके किसी विस्तार की अवधि के दौरान नियंत्रण प्राधिकारी की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए फिट नहीं है, वह, यथास्थिति, अधिकारी को उन्मोचित कर सकेगा या उसकी नियुक्ति से पूर्व धारित पद पर प्रतिवर्तित कर सकेगा ।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान परिवीक्षा को समाधानप्रद रूप से पूरा करने की एक शर्त के रूप में, नियंत्रण प्राधिकारी किसी अधिकारी से प्रशिक्षण और अनुदेशों का ऐसा पाठ्यक्रम करने की और परीक्षाएं तथा जांच उत्तीर्ण करने की (जिसमें हिन्दी की परीक्षा भी है) अपेक्षा कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे ।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य विषयों के संबंध में सेवा के सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी अनुदेशों द्वारा शासित होंगे ।

7. ज्येष्ठता - (1) सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने की तारीख से पूर्व पहले ही यथाअवधारित उनकी संबंधित श्रेणियों में सापेक्ष ज्येष्ठता होगी :

परंतु यह कि यदि सेवा के किसी सदस्य की ज्येष्ठता इन नियमों के प्रारंभ होने से पूर्व अवधारित नहीं की गई थी तो इसे नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा, केन्द्रीय सरकार द्वारा ज्येष्ठता पर समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

(2) इन नियमों के आरंभ होने की तारीख को सेवा की विभिन्न श्रेणियों में नियुक्त व्यक्तियों की ज्येष्ठता का अवधारण केन्द्रीय सरकार द्वारा ज्येष्ठता पर समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों द्वारा अवधारित किया जाएगा ।

8. अकृत्यकारी उन्नयन प्रदान करना - (1) सेवा के सदस्यों को अकृत्यकारी उन्नयन केन्द्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त समय-समय पर जारी साधारण आदेशों या अनुदेशों द्वारा प्रदान किया जाएगा ।

(2) सभी विहित पात्रता मानदंड और प्रोन्नति मानक जिसमें किसी विशिष्ट ग्रेड वेतन में उन्नयन के लिए, "बेंचमार्क" भी है को उच्चतर वेतनमान प्रदान करने के लिए जांच के समय पूरा करना होगा ।

9. सेवा की शर्तें - (1) सेवा के नियुक्त कोई अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने का जिसके अंतर्गत भारत से बाहर सेवा भी है, दायी होगा ।

(2) सेवा के किसी अधिकारी की सेवा के किसी मामले से संबंधित शर्तें जिनके संबंध में इन नियमों में कोई उपबंध नहीं किया गया है वह वही होंगी जो केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों को साधारणतया समय-समय पर लागू होती हैं ।

10. अवशिष्ट विषय - वे विषय जो विशिष्टतया इन नियमों या अनुदेशों या आदेशों या उनके तद्धीन जारी विशेष आदेशों के अंतर्गत नहीं आते हैं, सेवा के सदस्य केन्द्रीय सिविल सेवाओं के अधिकारियों को साधारणतया लागू नियमों, अनुदेशों और आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

11. निरर्हता : वह व्यक्ति–

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

12. निर्वचन - यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्‌भूत होता है तो इसे केन्द्रीय सरकार को निर्दिष्ट किया जाएगा और वह उसका विनिश्चय करेगी।

13. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, इन नियमों के किन्हीं उपबंधों को आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

14. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची-I

[नियम 3 का उपनियम (3) और नियम 4 का उपनियम (1) देखें]

(सेवा में सम्मिलित पदों की श्रेणियां, संख्या और वेतनमान)

क्रम सं.	सेवा की श्रेणी	पदों की संख्या	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन तथा वेतनमान
1.	मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी - 1)(उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी)	47	उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी 67,000 -79000 रू. (3% की दर से वार्षिक वेतन वृद्धि)
2.	आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -2)(ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	295	वेतन बैंड 4, 37400-67000 रू धन 10000 रू. ग्रेड वेतन
3.	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -3)(कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की अकृत्यकारी चयन श्रेणी)		वेतन बैंड 4, 37400-67000 रू धन 8700 रू. ग्रेड वेतन

4.	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -4)(कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	593	वेतन बैंड 3, 15600-39100 रू धन 7600 रू. ग्रेड वेतन
5.	उपायुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -5) (ज्येष्ठ समयमान)	601	वेतन बैंड 3, 15600-39100 रू धन 6600 रू. ग्रेड वेतन
6.	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -5) (कनिष्ठ समयमान)	949	वेतन बैंड 3, 15600-39100 रू धन 5400 रू. ग्रेड वेतन

टिप्पण :– ज्येष्ठ कर्तव्य पदों के 30 प्रतिशत (अर्थात् समयमान और उससे ऊपर) का कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (अकृत्यकारी चयन श्रेणी) अर्थात् सेवा की श्रेणी - 3 में प्रचालन किया जाएगा और इस श्रेणी में नियुक्ति समग्र कार्य निष्पादन, अनुभव और किसी अन्य संबंधित विषय को गणना में लेकर उपयुक्तता के आधार पर ज्येष्ठता के अनुसार की जाएगी ।

अनुसूची-II

[नियम 5 का उपनियम (2) देखें]

परीक्षा के परिणाम के आधार पर सेवा की श्रेणी-6 (कनिष्ठ समयमान) में पदों पर सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएं और आयुसीमा ।

अभ्यर्थी निम्नलिखित रखता हो -

(1) भारत में केन्द्रीय या राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थानों या संसद के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956, (1956 का 3) की धारा 3 के अधीन घोषित समविश्वविद्यालय या समय-समय पर सरकार द्वारा अनुमोदित किसी विश्वविद्यालय की कोई उपाधि या ऐसी कोई अर्हता रखता हो जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा परीक्षा में प्रवेश के प्रयोजनों के लिए मान्यता दी गई है ;

टिप्पण : अपवादकारी मामलों में आयोग पूर्वोक्त कोई भी अर्हता न रखने वाले किसी अभ्यर्थी को शैक्षिक रूप से अर्हित मान सकेगा ; यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षाएं उत्तीर्ण कर ली है जिनका मानक आयोग की राय में उसकी परीक्षा में प्रवेश को न्यायोचित ठहराता है ।

टिप्पण 2 : वृत्तिक और तकनीकी अर्हताएं जिन्हें सरकार द्वारा वृत्तिक और तकनीकी उपाधि के समकक्ष मान्यता दी गई है, रखने वाला अभ्यर्थी भी परीक्षा में प्रवेश के लिए पात्र होगा ।

(2) सिविल सेवा परीक्षा के वर्ष के 1 अगस्त को, 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और 30 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है । विहित आयु सीमा में वर्षानुवर्ष के लिए आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए जारी अधिसूचनाओं के अनुसार परिवर्तन हो सकेगा । अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्गों और आयोग द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के लिए समय-समय पर यथाअधिसूचित कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए अधिकतम आयुसीमा भी शिथिल की जा सकती है ।

अनुसूची-III

[नियम 5 देखें]

भारतीय राजस्व सेवा (सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) समूह 'क' की विभिन्न श्रेणियों में शामिल पदों पर प्रोन्नति द्वारा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और अगली निम्न श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा

क्रम सं.	पद का नाम	भर्ती की पद्धति	चयन श्रेणी का क्षेत्र और प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा
1.	मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी - 1)(उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी)	प्रोन्नति	ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी -2) में वेतन बैंड 4, 37400-67000 रू धन 10000 रू. ग्रेड वेतन में उस श्रेणी में तीन वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी या समूह 'क' सेवा में 25 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से कम से कम एक वर्ष की नियमित सेवा ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी -2) में रखने वाले अधिकारी
2.	आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -2)(ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	प्रोन्नति	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी -3) में वेतन बैंड 4, 37400-67000 रू धन 8700 रू. ग्रेड वेतन में उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा, जिसमें अकृत्यकारी चयन श्रेणी भी है रखने वाले अधिकारी या समूह 'क' सेवा में 17 वर्ष की नियमित सेवा जिसमें से कम से कम चार वर्ष की नियमित सेवा कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (जिसमें कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की अकृत्यकारी चयन श्रेणी में की गई सेवा भी है) में रखने वाले अधिकारी
3.	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -3)(कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की अकृत्यकारी चयन श्रेणी)	प्रोन्नति	कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी (श्रेणी -4) में वेतन बैंड 3, 15600-39100 रू धन 7600 रू. ग्रेड वेतन में अधिकारी जो उस वर्ष के पश्चात्‌वर्ती परीक्षा वर्ष जिसके आधार पर वह भर्ती किए गए थे, की 1 जनवरी को सेवा के 14वें वर्ष में प्रविष्ट हो गए हैं : परंतु यह कि कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी अधिकारी, जो कनिष्ठ समयमान प्रोन्नति पद्धति द्वारा सेवा में प्रविष्ट हुए हैं, यदि वे ज्येष्ठता को शासित करने वाले नियमों के अनुसरण में 14वें वर्ष में प्रविष्ट हो गए हैं, उन अधिकारियों के साथ जो सीधी भर्ती की पद्धति द्वारा सेवा के 14वें वर्ष में प्रविष्ट हो गए हैं, भी कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी में नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे ।
4.	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -4)(कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	प्रोन्नति	वेतन बैंड 3, 15600-39100 रू धन 6600 रू. ग्रेड वेतन में श्रेणी -5 में पांच वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी जिसके न हो सकने पर श्रेणी -5 और श्रेणी-6 दोनों को मिलाकर, नौ वर्ष की सम्मिलित नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी ।
5.	उपायुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -5) (ज्येष्ठ समयमान)	प्रोन्नति	वेतन बैंड 3, 15600-39100 रू धन 5400 रू. ग्रेड वेतन में श्रेणी -6 में चार वर्ष की नियमित सेवा रखने वाले अधिकारी :

			परंतु यह कि सेवा की श्रेणी-6 में नियुक्त अधिकारी पर श्रेणी-5 में प्रोन्नति के लिए तबतक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने सफलतापूर्वक परिवीक्षा की अवधि पूरी न कर ली हो ।
6.	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -5) (कनिष्ठ समयमान)	(i) 50% सीधी भर्ती द्वारा (ii) 50% प्रोन्नति द्वारा	श्रेणी-6 (कनिष्ठ समयमान) में 50% रिक्तियां नियम 5(3) के अनुसरण में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, सीमाशुल्क और स्वापक औषधि विभाग में निम्नलिखित समूह 'ख' प्रवर्गों के अधिकारियों में से जिन्होंने निम्नलिखित के रूप में दो वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति द्वारा भरी जाएगी । (क) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क विभाग में अधीक्षक, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और स्वापक औषधि विभागं में जिला अफीम अधिकारी या आसूचना अधिकारी या अधीक्षक (कार्यपालक) ; (ख) सीमाशुल्क विभाग में अधीक्षक, सीमाशुल्क (निवारक) ; और (ग) सीमाशुल्क विभाग में सीमाशुल्क अंकक ।

टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी ।

अनुसूची-IV

[नियम 5 का उपनियम (6) देखें]

सेवा की विभिन्न श्रेणियों में शामिल किए गए पदों पर प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्रम सं.	श्रेणी	प्रोन्नति पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	पुष्टि पर विचार करने के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति	अकृत्यकारी उन्नयन पर विचार करने के लिए विभागीय छानबीन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी - 1)(उच्चतर प्रशासनिक श्रेणी)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव (राजस्व) - सदस्य 3. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद	—	1. सचिव (राजस्व) - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य

		शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य 4.सदस्य ^, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य		3.सदस्य*, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य
2.	आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -2)(ज्येष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. सचिव (राजस्व) - सदस्य 3. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य 4.सदस्य*, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य	—	1. सचिव (राजस्व) - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य 3.सदस्य*, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य
3.	अपर आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -3)(कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी की अकृत्यकारी चयन श्रेणी)	1. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - अध्यक्ष 2. दो सदस्य *, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य	—	—
4.	संयुक्त आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -4)(कनिष्ठ प्रशासनिक श्रेणी)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य 3. सदस्य *, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य	—	1. सचिव (राजस्व) - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य 3.सदस्य*, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य
5.	उपायुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -5) (ज्येष्ठ समयमान)	1. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - अध्यक्ष 2. दो सदस्य *, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य	—	1. सचिव (राजस्व) - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य 3.सदस्य*, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य
6.	सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (श्रेणी -5) (कनिष्ठ समयमान)	1. अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष 2. अध्यक्ष, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य 3. दो सदस्य *, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - सदस्य	1. सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड - अध्यक्ष 2. संयुक्त सचिव (प्रशासन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड- सदस्य 3. निदेशक या उप सचिव (प्रशासन) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड- सदस्य	—

^ अधिष्ठाता सदस्य, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड
* केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला
टिप्पण :–आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति समिति की कार्यवाहियों को अविधिमान्य नहीं करेगी, यदि विभागीय प्रोन्नति समिति के आधे से अधिक सदस्यों ने इसकी बैठकों में भाग लिया था।

[फा. सं. ए-12018/02/2011-प्रशा. II]

जोसेफ अंटोनी, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th September, 2012

G.S.R. 683(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Indian Customs and Central Excise Service Group 'A' Rules, 1987 published by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue in the Gazette of India, Part-II, Section 3, sub-section (i) dated 17.09.1987 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules, namely :-

1. **Short Title and Commencement** – (1) These rules shall be called the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group 'A' Rules, 2012.

   (2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions** – In these rules, unless the context otherwise requires, -

   (a) **"Board"** means the Central Board of Excise and Customs;

   (b) **"Commission"** means the Union Public Service Commission;

   (c) **"Controlling Authority"** means the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue;

   (d) **"Departmental Promotion Committee"** means a Committee constituted to consider promotions and confirmations in any Grade of the Service

3469 GI/12-3

specified in **Schedule-I** and the composition of such Committee shall be as specified in **Schedule-IV**.

(e) **"Examination"** means a combined competitive examination consisting of a preliminary examination and a main examination conducted by the Commission for recruitment to the Service or such other service or services as may be specified by the Commission from time to time;

(f) **"Grade"** means a Grade of the Service specified in column (2) of **Schedule-I**;

(g) **"Post"** means any post, whether permanent or temporary specified under rule 4;

(h) **"regular Service"**, in relation to any Grade, means the period or periods of service in that Grade rendered after selection according to the prescribed procedure for long term appointment to that Grade and includes any period or periods –

(i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) during which an officer would have held a post in that Grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such posts;

(i) **"Schedule"** means a Schedule to these rules;

(j) **"Service"** means the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group 'A'.

3. **Constitution of Service** – (1) There shall be a constituted a Service known as the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group 'A' consisting of persons appointed to the Service under rule 5.

(2) All the posts included in the Service shall be classified as Group 'A' posts.

(3) The Service, shall on the date of commencement of these rules, consist of officers who have already been appointed to the Indian Customs and Central Excise Service Group 'A' in the various Grades as specified in Schedule-I, on a regular basis.

(4) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (3) in the respective corresponding Grades, rendered prior to the commencement of these rules, shall be counted as qualifying service for the purpose of seniority, confirmation, promotion, non-functional upgradation and pension.

4. **Grades, Authorised Strength and its review –** (1) The authorised permanent strength of various Grades of the Service on the date of commencement of these rules, the number of posts in each Grade and the Pay Band and grade pay or pay scale attached thereto and the scales of pay shall be as specified in **Schedule-I**.

(2) On and from the date of commencement of these rules, the authorised permanent strength of various Grades of the Service shall be as may be determined by the Central Government from time to time subject to variation depending on workload.

5. **Appointments to the Service - (1)** After the initial constitution of the Service, the vacancies in any of the Grades shall be filled in the manner as hereinafter provided.

(2) Fifty per cent of the vacancies in Grade VI (Junior Time Scale) i.e. Assistant Commissioner of Customs and Central Excise shall be filled by direct recruitment on the basis of the results of the Examination conducted by the Commission in the manner as specified in **Schedule-II**.

(3) Fifty per cent of the vacancies in Grade VI (Junior Time Scale) i.e. Assistant Commissioner of Customs and Central Excise shall be filled by promotion from amongst the following categories of Group 'B' officers in the Central Excise, Customs and Narcotics Department, who have completed two years' of regular service, namely:-

(a) Superintendents of Central Excise in the Central Excise Department and District Opium Officer or Intelligence Officers or Superintendents (Executive) in the Narcotics Department;

(b) Superintendents of Customs (Preventive) in the Customs Department; and

(c) Appraisers of Customs in the Customs Department.

NOTE: For the purpose of making promotion from Group 'B' to Group 'A', from amongst the categories of officers mentioned in Paragraph (a) of sub-rule 3, a combined eligibility list of Superintendents of Central Excise and District Opium Officers or Intelligence Officers or Superintendent (Executive) in the Narcotics Department shall be prepared with reference to the date of completion by the officers of the prescribed qualifying service in the respective Grade or post.

(4) The vacancies to be filled by promotion shall be filled from out of the three Group 'B' categories of the officers mentioned in sub-rule (3) in the ratio of 13:2:1 respectively for each bunch of sixteen vacancies. Out of sixteen vacancies, the first thirteen vacancies shall be filled from amongst the officers referred to in paragraph (a) of sub-rule (3), the 14^{th} and the 15^{th} vacancies shall be filled from amongst the officers referred to in paragraph (b) of the said sub-rule and the 16^{th} vacancy shall be filled from amongst the officers referred to in paragraph (c) of the sub-rule aforesaid.

(5) Appointments in the Service to Grade V (Senior Time Scale) i.e. Deputy Commissioner of Customs and Central Excise and above shall be made by promotion from amongst the officers in the next lower Grade with the minimum qualifying service as specified in Column (4) of **Schedule-III**.

(6) Promotion of officers, except to the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade), shall be made by 'selection' on the basis of the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted in accordance with Schedule-IV. Promotion to the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) shall be by non-selection.

6. **Probation and confirmation** – (1) Every officer on appointment to the Service, either by direct recruitment or by promotion in Junior Scale shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by the Central Government from time to time:

Provided further that an officer shall be given an opportunity of being heard before his period of probation is proposed to be extended before three months of the expiry of the period.

(2) On completion of the period of probation, or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their posts on regular basis and be confirmed.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Controlling Authority is of the opinion that an officer is not fit for permanent

appointment, it may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, an officer may be required by the Controlling Authority to undergo such course of training and instructions and to pass examinations, and tests (including examination in Hindi) as it may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions issued by the Central Government in this regard from time to time.

7. **Seniority** – (1) The relative seniority of the members of the Service shall be the relative seniority in their respective Grades as already determined before the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any member of the Service had not been determined before the commencement of these rules, it shall be determined by the Controlling Authority in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time.

(2) The seniority of persons appointed to various Grades of the Service on and from the date of commencement of these rules shall be determined in accordance with the general orders or instructions on seniority issued by the Central Government from time to time.

8. **Grant of non-functional upgradation** (1) Non-functional upgradation may be granted to the members of the Service in accordance with the instructions issued by the Central Government in this behalf from time to time.

(2) All the prescribed eligibility criteria and promotional norms including 'benchmark' for up-gradation to a particular Grade Pay shall have to be fulfilled at the time of screening for grant of higher pay-scale.

9. **Conditions of Service** – (1) An officer appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India, including field service in or out of India.

(2) The conditions of service of the officer of the Service in respect of matters for which no provision has been made under these rules shall be the same as are applicable from time to time, to the officers of Central Civil Services in general.

10. **Residuary matters** – In regard to matters not specifically covered by these rules, or instructions or orders made or issued thereunder or by special orders, the members of the Service shall be governed by the rules, instructions and orders applicable to the officers of Central Civil Services in general.

11. **Disqualifications** - No person.-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the Service:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

12. **Interpretation** – If any question arises relating to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Central Government which shall decide the same.

13. **Power to relax -** Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. **Saving -** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, other Backward classes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE-I

[See sub-rule (3) of rule-3 and sub-rule (1) of rule-4]
(Grades, Numbers and Scales of Pay of Posts included in the service)

Sl. No.	Grade of Service	Number of Posts	Pay Band and Grade Pay and Pay Scale
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-I) (Higher Administrative Grade)	47	**Higher Administrative Grade** Rs. 67,000-79,000/- (with annual increment @3%)
2.	Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-II) (Senior Administrative Grade)	295	**Pay Band-4** Rs. 37,400-67,000+Grade Pay Rs.10,000/-
3.	Additional Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-III) – (Non-Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade)	593	**Pay Band-4** Rs. 37,400-67,000+Grade Pay Rs.8,700/-
4.	Joint Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-IV) (Junior Administrative Grade)		**Pay Band-3** Rs. 15,600-39,100+ Grade Pay. Rs.7,600/-
5.	Deputy Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-V) (Senior Time Scale)	601	**Pay Band-3** Rs. 15,600-39,100+ Grade Pay. Rs.6,600/-
6.	Assistant Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-VI) (Junior Time Scale)	949	**Pay Band-3** Rs. 15,600-39,100+ Grade Pay. Rs.5400/-

NOTE: Thirty per cent of the Senior Duty Posts (i.e. Senior Time Scale and above) shall be operated in the Junior Administrative Grade (Non-Functional Selection Grade) i.e. Grade-III of the Service and appointment to this Grade shall be made according to seniority based on suitability taking into account the overall performance, experience and any other related matters.

SCHEDULE – II
[See sub-rule (2) of Rule 5]

Minimum educational qualifications and age-limit for direct recruitment to posts in Grade VI (Junior Time Scale) of the Service on the results of the Examination.

A candidate must have-

(1) a degree of any university incorporated by an Act of the Central or State Legislature in India or other educational institutes established by an Act of Parliament or declared to be deemed as University under Section 3 of the University Grants Commission Act, 1956(3 of 1956) or a foreign University approved by Government from time to time or possess qualification which has been recognised by the Central Government for the purpose of admission to the Examination;

Note 1 : In exceptional cases, the Commission may treat a candidate not possessing any of the above qualifications as educationally qualified; provided that the Commission is satisfied that he has passed examinations conducted by other institutions, the standard of which, in the opinion of the Commission, justifies his admission to the examination.

Note 2 : A candidate possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent in professional and technical degree would also be eligible for admission to the examination.

(2) attained the age of 21 years as on 1st August of the year of Civil Services Examination and not attained the age of 30 years. The prescribed age limits may vary in accordance with the Notifications issued by the Commission for Civil Services Examination from year to year. The upper age limit is also relaxable for Scheduled Castes or Scheduled Tribes or Other Backward Classes and certain other categories as notified by the Commission for Civil Services Examination from time to time.

3469 GI/12—5

SCHEDULE-III

[See rule 5]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers on promotion to the posts included in the various grades of the Indian Revenue Service (Customs and Central Excise) Group 'A'.

S. No.	Name of Post	Method of Recruitment	Field of Selection Grade and the minimum qualifying service for promotion.
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Chief Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-I) (Higher Administrative Grade)	Promotion	Officers in the Senior Administrative Grade (Grade II) in the Pay Band-4, Rs. 37400-67000 Plus Grade Pay of Rs. 10,000 with three years' regular service in the grade *or* Officers with twenty five years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least one year' regular service should be in the Senior Administrative Grade (Grade II).
2.	Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-II) (Senior Administrative Grade)	Promotion	Officers in the Junior Administrative Grade (Grade-III) in the Pay Band-4, Rs. 37000-67000 Plus Grade Pay of Rs. 8700 with eight years' regular service in the grade including Non-Functional Selection Grade *or* Officers with seventeen years' regular service in Group 'A' posts in the service out of which at least four years' regular service should be in the Junior Administrative Grade (including service rendered in the Non Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade).
3.	Additional Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-III) – (Non-Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade)	Promotion	Officers in the Junior Administrative Grade (Grade IV) in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 Plus Grade Pay of Rs. 7600 who have entered the 14th year in the Service on the 1st January of the year calculated from the year following the year of examination on the basis of which they were recruited; Provided that the Junior Administrative Grade officers who entered the service by the method of promotion in the Junior Time Scale shall also be considered eligible for appointment in the Junior Administrative Grade, provided they have entered the fourteenth year of service in Group 'A' following the Rules, governing seniority along with officers who entered the fourteenth year of service through the method of direct recruitment.

4	Joint Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-IV) (Junior Administrative Grade)	Promotion	Officers in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 Plus Grade Pay of Rs. 6600 with a minimum of five years' regular service in the Grade V, failing which nine years' combined regular service in the Grades V and VI taken together.
5	Deputy Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-V) (Senior Time Scale)	Promotion	Officers in the Pay Band-3, Rs. 15600-39100 Plus Grade Pay of Rs. 5400 with four years' regular service in Grade-VI: Provided that an officer appointed to the Grade-VI of the Service shall not be considered for promotion to Grade-V until he has successfully completed the period of probation.
6.	Assistant Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-VI) (Junior Time Scale)	(i) 50% by Direct Recruitment (ii) 50% by Promotion	Fifty per cent of the vacancies in Grade VI (Junior Time Scale) shall be filled by promotion in accordance with rule 5(3) from amongst the following categories of Group 'B' officers in the Central Excise, Customs and Narcotics Department who have completed two years of regular service- (a) Superintendents of Central Excise in the Central Excise Department and District Opium Officer or Intelligence Officers or Superintendents (Executive) in the Narcotics Department; (b) Superintendents of Customs (Preventive) in the Customs Department; and (c) Appraisers of Customs in the Customs Department.

NOTE: In cases where juniors who have completed their qualifying or eligibility service have been or are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

NOTE: For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 01.01.2006/the date from which the revised pay structure based on the sixth central pay commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/ pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.

SCHEDULE-IV

(See sub-rule 6 of rule 5)

Composition of Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation to the posts included in the various grades of the service.

S. No.	Grade	Departmental Promotion Committee for considering Promotion	Departmental Promotion Committee for considering Confirmation	Departmental Screening Committee for considering Non Functional Upgradation
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Chief Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-I) (Higher Administrative Grade)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary (Revenue) - Member 3. Chairman, Central Board of Excise and Customs - Member 4. Member^, Central Board of Excise and Customs – Member	—	1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member*, Central Board of Excise and Customs - Member
2	Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-II) (Senior Administrative Grade)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Secretary (Revenue) - Member 3. Chairman, Central Board of Excise and Customs - Member 4. Member*, Central Board of Excise and Customs – Member	—	1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member*, Central Board of Excise and Customs - Member
3	Additional Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-III) – (Non-Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade)	1. Chairman, Central Board of Excise and Customs - Chairman 2. Two Members* of Central Board of Excise and Customs – Members	—	—
4	Joint Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-IV) (Junior Administrative Grade)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member*, Central Board of Excise and Customs – Member	—	1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member*, Central Board of Excise and Customs - Member

5	Deputy Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-V) (Senior Time Scale)	1. Chairman, Central Board of Excise and Customs - Chairman 2. Two Members* of Central Board of Excise and Customs - Member	—	1. Secretary (Revenue) – Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs – Member 3. Member*, Central Board of Excise and Customs - Member
6	Assistant Commissioner of Customs and Central Excise (Grade-VI) (Junior Time Scale)	1. Chairman or Member, Union Public Service Commission - Chairman 2. Chairman, Central Board of Excise and Customs - Member 3. Two Members* of Central Board of Excise and Customs – Member	1. Member, Central Board of Excise and Customs - Chairman 2. Joint Secretary (Admn.), Central Board of Excise and Customs – Member 3. Director or Deputy Secretary (Admn.), Central Board of Excise and Customs – Member	—

^ Senior-most Member, Central Board of Excise and Customs

* To be nominated by Chairman, CBEC

Note : The absence of a Member, other than Chairman or a Member of the Commission, shall not invalidate the proceedings of the Committee, if more than half the Members of the Departmental Promotion Committee had attended its meetings.

[F. No. A-12018/02/2011-Ad. II]

JOSEPH ANTONY, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.